डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(8)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोडाभीम व
ास पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य R.A.S

उनवान

बाई पार्टी मदनमोहन निवासी गांगलखेड़ा तह. टोडाभीम करौली

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण खण्ड हिण्डौन सिटी
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण खण्ड टोडाभीम
4. कनि० अभियन्ता सार्वजनिक विभाग खण्ड टोडाभीम

स्थायी निषेधाज्ञा।

मुकदमा नं० 05 सन् 2007

कदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई देवेन्द्र कुमार शर्मा एव व हाजिरी
मिनकानिब गुदई रूबरू हमोर

ायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

के रिपोर्ट के अनुसार खा० नं० 1464 के मध्य 20 मीटर
सड़क थी। जिस पर वादिया के द्वारा अवैध कब्जा
र लिया था। जिसे पूर्व में ही प्रतिवादी के द्वारा तोड़
। जबकि दावा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है।
या आम सड़क की भूमि पर कब्जा करना चाहती है इसलिए
का दावा प्रार्थी साबित नहीं है। ना ही आम सड़क की
र वादिया का कब्जा है इसलिए दावा वादिया खारिज
योग्य है तथा खारिज किया जाता है।

मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
का अदा करें।

व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 6.15 सन्
री की गई।

मुहर

दस्तखत उप जिला कलक्टर
ओहदा टोडाभीम (करौली)

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
बा			स्टाम्प अर्जी दावा		
नामा			स्टाम्प अर्जी		
बूत			महन्ताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
			फीस कमिशनर		
			बाबत इजराय हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
न			मीजान		

Scanned by CamScanner